(190)

संख्या 686 / XXX(2) / 2012–55(47)/2004 टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः जुलाई, 17 , 2012

विशयः– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों / निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001)' में निहित लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान धारा 3(7) को रिट याचिका संख्या 45(एस / बी) / 2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2012 द्वारा निरस्त करते हुए इस आशय के आदेश पारित किए गए हैं कि राज्य सरकार चाहे तो वह भविष्य हेतु एम.नागराज के प्रकरण में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में ऐतद्विषयक कोई कानून बना सकती है।

2. मा. उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के आलोक में प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है जिसे दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पदों / संवर्गों, जिनके संदर्भ में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं था और इस कारण उपलब्ध रिक्तियों का विभाजन अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य होना था, को भरे जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन फिलहाल न किया जाय और ऐसे रिक्त पद / पदों के सापेक्ष पदोन्नति की प्रकिया को शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाय।

3. अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

संख्या 686(1) / XXX(2) / 2012–55(47)/2004 टी.सी. / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को महामहिम राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा. अध्यक्ष, विधानसभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त कुमायूं / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।